

प्ररूप संख्या 123

(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

आदेशिका

राज्य बनाम भागचन्द वगैरह

सी आई एस संख्या 1847/2016

दिनांक	पीठासीन अधिकारी का लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	अनुसंधि
16.01.2026	<p>अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुल्जिम अनुपस्थित। हाजरी माफी की दरखास्त जरिए वकील पेश हुयी, आज के लिए स्वीकार की गयी। गवाह संख्या 03 व 07 के बयान पूर्व में लेखबद्ध किए जा चुके है। अतः इन्ह तलब नहीं किया जावें। गवाह संख्या 09 व 10 की तामील अदम लौटी है। गवाह गोपाल जमानती वारंट 500 से पुनः तलब करें। तामील पर लाल स्याही से नोट लगाया जावें कि पत्रावली प्राचीनतम है। अंतिम गवाह है। अतः आवश्यक रूप से तामील कराई जावे। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु 23.01.2026 को पेश हो।</p> <p>वसिष्ठ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश संख्या 1, किशनगढ़ जिला अदालत</p>	

